HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 23rd Oct. 2003

No. S.O. 129/H.A.6/2003/S.60/2003.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 60 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), and all other powers enabling him in this behalf, and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. Web10/H.A. 6/2003/S.60/2003, dated the 15th October, 2003, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Rules, 2003.
 - (2) These rules shall come into force with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
- 2. In the Haryana Value Added Tax Rules, 2003 (hereinafter called the said rules), in rule 11, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
 - "(2A) Notwithstanding the limitation prescribed for making application in Form VAT-A2 under sub-rules (1) and (2), an application in Form VAT-A2 shall be entertained upto 24th October, 2003, subject to the payment of late fee of one thousand rupees along with the application".
- 3. In the said rules, in rule 69, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) Notwithstanding the limitation prescribed for making application in Form VAT-A5 under sub-rule (1), an application in Form VAT-A5 shall be entertained upto 24th October, 2003, subject to the payment of late fee of one thousand rupees along with the application and that the tax payable by such units, if not paid already in time, shall be paid with interest at the rate as applicable as per provisions of subsection (5) of section 14 of the Act.".

CHANDER SINGH
Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.

हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग अधिसूचना

दिनांक अक्तूबर, 2003

संख्या का0आ0 / ह0अ0 06 /2003/ धा0 60/ 2003.— हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 60 की उप धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ0 वैब 10 / ह0अ0 06 /2003/ धा0 60/ 2003, दिनांक 15 अक्तूबर, 2003, के प्रति निर्देश से हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

- 1. (1) ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2003, कहे जा सकते हैं।
 - (2) ये नियम इस अधिसूचना के राज पत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम ।। में, उप—िनयम (2) के बाद, निम्निलिखित उप—िनयम रखा जाएगा, अर्थात्:—
 "(2क) उप—िनयम (1) तथा (2) के अधीन प्ररूप वैट—क2 में आवेदन हेतु विहित समय
 सीमा के होते हुए भी, प्ररूप वैट—क2 में आवेदन 24 अक्तूबर, 2003, तक आवेदन के साथ एक
 हजार रूपए देरी फीस के भुगतान के अध्यधीन, स्वीकार किया जायेगा।
 - 3. उक्त नियमों में, नियम 69 में, उप—नियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप—नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1क) उप—िनयम (1) के अधीन प्ररूप वैट—क5 में, आवेदन हेतु विहित समय सीमा के होते हुए भी, प्ररूप वैट—क5 में आवेदन 24 अक्तूबर, 2003, तक आवेदन के साथ एक हजार रूपए देरी फीस के भुगतान के अध्यधीन, स्वीकार किया जायेगा तथा ऐसी इकाईयों द्वारा भुगतानयोग्य कर, यदि पहले ही समय पर अदा नहीं किया गया है, तो अधिनियम की धारा 14 की उप—धारा (5) के उपबंधों के अनुसार यथा लागू दर पर ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा।"।

चन्द्र सिंह वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग